राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

"ToT on "Anti-Human Trafficking"

दिनांक 04.12.2017 से 08.12.2017 तक

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 04.12.2017 से 08.12.2017 तक **"ToT on "Anti-Human Trafficking"** विषय पर पॉच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 26 निरीक्षक पुलिस एवं 05 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के कुल 31 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र में श्रीमती नीतू प्रसाद, बाल अधिकार विशेषज्ञ द्वारा मानव तस्करी की अवधारणा व मानव तस्करी के परिणामस्वरूप बच्चों व महिलाओं के विरूद्ध होने वाले विभिन्न अपराधों संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्री राधाकान्त सक्सेना, (सेवानिवृत) आईजीपी जेल द्वारा मानव तस्करी, वैश्यावृति, बालश्रम इत्यादि अपराधों से पीडित व्यक्तियों की काउन्सलिंग, पुनर्वास एवं पीडित प्रतिकर योजना से संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक आरपीए ने मानव तस्करी संबंधी अपराधों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना, तलाशी, जप्ती, गिरफ्तारी, चार्जशीट पेश करना व सम्पूर्ण अनुसंधानिक प्रक्रिया संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्री युदराज शर्मा, परामर्शदाता, यूनिसेफ आरपीए, जयपुर द्वारा मानव तस्करी विषय पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

श्री विजय गोयल, बाल अधिकार कार्यकर्ता, जयपुर द्वारा मानव तस्करी संबंधी वादों में दबिश देना, बचाव कार्यो संबंधी विषयों पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, अति. पुलिस अधीक्षक, आरपीए, जयपुर ने मानव तस्करी संबंधी प्रकरणों में आसुचना का संकलन, अनुसंधान के दौरान पालन किये जाने वाले कानूनी प्रावधान व प्रक्रिया तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा बारीकी से नजर रखे जाने वाले बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की।

डॉ. सुमन राव, एपीपी, आरपीए, जयपुर द्वारा मानव तस्करी की संगठित अपराध के रूप में अवधारणा व मानव प्रवजन संबंधी कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

श्रीमती प्रिति अग्रवाल, अधिवक्ता, जयपुर द्वारा मानव तस्करी में पीडित व्यक्तियों के बचाव व बचाव के पश्चात् पीडितों को उपलब्ध करवायी जाने वाली विधिक सहायता, मेडिकल सहायता व पीडितों के पुनर्वास संबंधी कानूनी पहलुओं के बारे में बताया।

प्रतिभागियों द्वारा मानव तस्करी विरोधी इकाई की समस्या एवं समाधान, मानव तस्करी विरोधी इकाई और अन्य हितधारकों के साथ विचारणीय मुद्दें, मानव तस्करी विरोधी इकाई की बेस्ट प्रेक्टिसेज संबंधी विषयों पर सामूहिक चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया।

श्री ओमप्रकाश (सेवानिवृत) पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मानव तस्करी के अपराध को अंजाम दिये जाने वाले विभिन्न तरीकों एवं मानव तस्करी के अपराध को रोकने व पीडित व्यक्तियों के पुनर्वास में पुलिस की भूमिका संबंधी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

प्रतिभागियों को, ''स्नेहांगन-क्राईसिस मैनेजमेन्ट सेन्टर फॉर चिल्ड्रन'' गांधी नगर, जयपुर का भ्रमण करवाया गया जहां केन्द्र के समन्वयक श्री विजय गोयल द्वारा बच्चों को एक ही स्थान पर पुनर्वास व सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर प्रतिभागियों को जानकारी दी, साथ ही प्रतिभागियों द्वारा पीडित बच्चों संबंधी संधारित की विभिन्न पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

श्री मुकेश यादव, पुलिस उप अधीक्षक, एसीबी, जयपुर द्वारा मानव तस्करी संबंधी प्रकरणों के अनुसंधान में आधुनिक तकनीको जैसे सीडीआर विश्लेषण करना, आई.पी. एड्रेस ट्रेस करना व सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 के विभिन्न प्रावधानों की सहायता से अपराधी को दण्डित कराने संबंधी विषय पर व्याख्यान दिया।

श्रीमती लाडकुमारी जैन, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर द्वारा मानव तस्करी के विभिन्न कारणो जैसे जातिगत कारण, प्रथागत कारण, व्यवसायिक कारण व आधुनिक पर्यटन व्यवसाय व राजस्थान में मानव तस्करी की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत चर्चा की।

श्री आवेश सिंह, एडीपी, आरपीए, जयपुर ने भारतीय दण्ड संहिता व अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में उल्लेखित मानव तस्करी संबंधी विषय पर विस्तृत व्याख्यान दिया।

श्री आर.एस. शर्मा, (सेवानिवृत) अतिरिक्त निदेशक, विधि-विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा मानव तस्करी संबंधी अपराधों के अनुसंधान में विधि-विज्ञान शाखा की उपयोगिता व मेडिकल विधि-शास्त्र द्वारा आपराधिक कार्य व आपराधिक कारण को जोडते हुए अपराधी तक पहुंचने संबंधी विषय पर विस्तृत चर्चा की।

श्री श्रीपाल शक्तावत, चीफ एडिटर, ई.टी.वी., राजस्थान द्वारा मानव तस्करी संबंधी अपराधों का पता लगाने में तथा अनुसंधान में व मानव तस्करी संबंधी अपराधों को समाज मे समक्ष लाने में मीडिया की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की।

कोर्स के समापन सत्र में श्री राजीव शर्मा, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, ए.एच.टी., जयपुर ने मानव तस्करी अपराधों के अनुसंधान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भो में अनुसंधान अधिकारियों द्वारा ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया। उनके द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-प्रत्र वितरित किये गये। कार्यक्रम के अन्त में मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हुए प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोर्स के संचालन में सहभागियो एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।